विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

पत्रांकः– 117 / उ0शि0नि0मं0कर्ण0 / 2026–27,   दिनांकः– 25 / 07 / 2026

वाद योजित तिथि –20.04.2026
अंतिम सुनवाई तिथि–22.07.2026
निर्णय उद्धघोषित तिथि– 22.07.2026

परिवाद संख्याः– 03 / 2026–27

श्री अरविन्द प्रसाद ग्राम–स्यूण्ड पो0–सतेराखाल ....परिवादी।

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रप्रयाग...विपक्षी।

कोरम–

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।
श्री अनिल वर्मा–तकनीकि सदस्य।
श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थितिः–

परिवादी की ओर से.. अनुपस्थित।

विपक्षी की ओर से.. सहायक अभियंता राजस्व रूद्रप्रयाग उपस्थित।

उद्धघोषित द्वारा :–

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा–तकनीकि सदस्य

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

निर्णय

1. परिवाद विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री अरविन्द प्रसाद ग्राम–स्यूण्ड पो0–सतेराखाल ने दिनांक 20.04.2026 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि, प्रार्थी द्वारा वर्ष 2023 में विभाग में विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन किया था, परन्तु उक्त आवेदन के अन्तर्गत भी परिसर पर विभाग ने न तो कभी मीटर स्थापित किया और ना ही विद्युत कनेक्शन चालू किया। किन्तु विभाग ने दिनांक 13 मार्च 2026 में प्रार्थी के घर पर नया कनेक्शन विधिवत रूप से स्थापित किया गया जिसके पश्चात् दिनांक 24 मार्च

सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,
Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:– 246429

पत्रांक:– 115 /उ0शि0नि0मं0कर्ण0/2026–27, दिनांक:– 25/07/2026

2026 को प्रार्थी को पूर्व आवेदन के आधार पर रूपये 9000 का बिकाया विद्युत बिल दिया गया है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 25.05.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से सहायक अभियंता राजस्व रूद्रप्रयाग उपस्थित हुए। विपक्षी विभाग द्वारा कोई भी लिखित में अपना जवाब/आपत्ति मंच में दाखिल नहीं किया गया है, मंच द्वारा विपक्षी को अगली सुनवाई की तिथि दिनांक 08.06.2026 तक जवाबदावा एवं परिवाद की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया।
3. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 08.06.2026, दिनांक 17.06.2026 एवं दिनांक 29.06.2026 के दौरान पक्षकार उपस्थित नहीं हुए। मंच द्वारा विपक्षी को अगली सुनवाई की तिथि दिनांक 10.07.2026 तक जवाबदावा एवं परिवाद की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया।
4. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 10.07.2026 के दौरान परिवादी एवं विपक्षी विभाग उपस्थित नहीं हुए। विपक्षी द्वारा व्हाटसऐप के माध्यम से परिवादी का जवाबदावा मंच में प्रेषित किया गया।
5. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 22.07.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से सहायक अभियन्ता राजस्व रूद्रप्रयाग उपस्थित हुए, विपक्षी विभाग द्वारा मंच को अवगत किया गया कि उपभोक्ता की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा परिवादी को दूरभाष के माध्यम से अवगत किया गया कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। जिससे उपभोक्ता संतुष्ट है।

आदेश

परिवादी के प्रस्तुत परिवाद का समाधान विपक्षी विभाग द्वारा कर दिया गया है। तद्नुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

रघुवीर सिंह बिष्ट
(विधि सदस्य)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

अखिलेश वर्मा
(तकनीकि सदस्य)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,
Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

पत्रांकः– 118 /उ0शि0नि0मं0कर्ण0/2026–27, दिनांकः– 25/07/2026

वाद योजित तिथि –20.04.2026
अंतिम सुनवाई तिथि–22.07.2026
निर्णय उद्घघोषित तिथि– 22.07.2026

परिवाद संख्याः– 04/2026–27

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी ग्रा0–मदोला, पो0–घोलतीर .... परिवादी।

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रप्रयाग.. विपक्षी।

कोरम–
श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।
श्री अनिल वर्मा–तकनीकि सदस्य।
श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थितिः–

परिवादी की ओर से.. अनुपस्थित।

विपक्षी की ओर से.. सहायक अभियंता राजस्व रूद्रप्रयाग उपस्थित।

उद्घघोषित द्वारा :–
श्री रघुवीर सिंह विष्ट–विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा–तकनीकि सदस्य

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

निर्णय

1. परिवाद विद्युत पोल के सन्दर्भ में है। श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी ग्रा0–मदोला, पो0–घोलतीर, वि0वि0खण्ड रूद्रप्रयाग ने दिनांक 20.04.2026 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि, प्रार्थी के परिसर में विभाग द्वारा पोल लगाया गया है, जो कि बहुत झुका हुआ है जिससे कभी भी जन–हानि होने का खतरा बना हुआ है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।

सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

पत्रांकः– 116 /उ0शि0नि0मं0कर्ण0/2026–27, दिनांकः– 25/07/2026

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 25.05.2026, के दौरान परिवादी. उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से सहायक अभियंता राजस्व रूद्रप्रयाग उपस्थित हुए। विपक्षी विभाग द्वारा कोई भी लिखित में अपना जवाब/आपत्ति मंच में दाखिल नहीं किया गया है, मंच द्वारा विपक्षी को अगली सुनवाई की तिथि दिनांक 08.06.2026 तक जवाबदावा एवं परिवाद की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया।
3. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 08.06.2026, दिनांक 17.06.2026 एवं दिनांक 29.06.2026 के दौरान पक्षकार उपस्थित नहीं हुए। मंच द्वारा विपक्षी को अगली सुनवाई की तिथि दिनांक 10.07.2026 तक जवाबदावा एवं परिवाद की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया।
4. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 10.07.2026 के दौरान परिवादी एवं विपक्षी विभाग उपस्थित नहीं हुए। विपक्षी द्वारा व्हाटसऐप के माध्यम से परिवादी का जवाबदावा मंच में प्रेषित किया गया।
5. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 22.07.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से सहायक अभियन्ता राजस्व रूद्रप्रयाग उपस्थित हुए, विपक्षी द्वारा मंच को अवगत किया गया कि **परिवादी के परिसर पर लगाये गये पोल को शीघ्र ही शिफ्ट/सही कर दिया जायेगा।** मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा परिवादी को दूरभाष के माध्यम से अवगत किया गया कि विपक्षी विभाग द्वारा पोल को शीघ्र ही शिफ्ट/सही कर दिया जायेगा, जिससे परिवादी संतुष्ट है।

आदेश

मंच द्वारा परिवादी का प्रस्तुत परिवाद स्वीकार करते हुए, विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी के परिसर पर लगाये गये पोल को **15 दिनों के अन्तर्गत शिफ्ट/सही करें।** तदानुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

रघुवीर सिंह विष्ट
(विधि सदस्य)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

अनिल वर्मा
(तकनीकि सदस्य)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

अर्जुन सिंह विष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,
Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:– 246429

पत्रांक:– 119 / उ0शि0नि0मं0कर्ण0 / 2026–27, दिनांक:– 25/07/2026

वाद योजित तिथि –20.04.2026
अंतिम सुनवाई तिथि–22.07.2026
निर्णय उद्घघोषित तिथि– 22.07.2026

परिवाद संख्या:– 05 / 2026–27

श्रीमती सम्पता देवी ग्रा0–क्यूड़ी, पो0–खड़पतिया ....परिवादी।

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रप्रयाग..विपक्षी।

कोरम–

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।
श्री अनिल वर्मा–तकनीकि सदस्य।
श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थिति:–

परिवादी की ओर से.. अनुपस्थित।

विपक्षी की ओर से.. सहायक अभियंता राजस्व रूद्रप्रयाग उपस्थित।

उद्घघोषित द्वारा :–

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा–तकनीकि सदस्य

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

निर्णय

1. परिवाद विद्युत पोल के सन्दर्भ में है। श्रीमती सम्पता देवी ग्रा0–क्यूड़ी, पो0–खड़पतिया, वि0वि0खण्ड रूद्रप्रयाग ने दिनांक 20.04.2026 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि, प्रार्थिनी का विद्युत बिल उसकी विद्युत खपत से अधिक आ रहा है। एवं पोल की दूरी भी बहुत अधिक है जिससे लाइन के तार बार–बार टूट जाते हैं। प्रार्थिनी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।

सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

पत्रांक:– 115 /उ0शि0नि0मं0कर्ण0/2026–27,	दिनांक:–25/07/2026

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 25.05.2026, के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से सहायक अभियंता राजस्व रूद्रप्रयाग उपस्थित हुए। विपक्षी विभाग द्वारा कोई भी लिखित में अपना जवाब/आपत्ति मंच में दाखिल नहीं किया गया है, मंच द्वारा विपक्षी को अगली सुनवाई की तिथि दिनांक 08.06.2026 तक जवाबदावा एवं परिवाद की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया।
3. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 08.06.2026, दिनांक 17.06.2026 एवं दिनांक 29.06.2026 के दौरान पक्षकार उपस्थित नहीं हुए। मंच द्वारा विपक्षी को अगली सुनवाई की तिथि दिनांक 10.07.2026 तक जवाबदावा एवं परिवाद की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया।
4. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 10.07.2026 के दौरान परिवादी एवं विपक्षी विभाग उपस्थित नहीं हुए। विपक्षी द्वारा व्हाटसऐप के माध्यम से परिवादी का जवाबदावा मंच में प्रेषित किया गया।
5. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 22.07.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से सहायक अभियन्ता राजस्व रूद्रप्रयाग उपस्थित हुए, विपक्षी द्वारा मंच को अवगत किया गया कि परिवादी को मीटर रीडिंग के अनुसार ही बिल प्रेषित किये गये हैं, एवं परिवादी के परिसर पर आर0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत विद्युत पोल स्थापित कर दिया जायेगा। मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन करने पर विपक्षी विभाग के कथन को सही पाया गया।

आदेश

मंच द्वारा परिवादी का प्रस्तुत परिवाद बलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

रघुवीर सिंह बिष्ट (विधि सदस्य) सदस्य–विधि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	अनिरुद्ध वर्मा (तकनीकि सदस्य) सदस्य–तकनीकि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	अर्जुन सिंह बिष्ट (उपभोक्ता सदस्य) सदस्य–उपभोक्ता उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,
Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

पत्रांकः– 120 /उ0शि0नि0मं0कर्ण0/2026–27, दिनांकः–25/07/2026

परिवाद योजित तिथि –20.04.2026
अंतिम सुनवाई तिथि–22.07.2026
निर्णय उद्धघोषित तिथि– 22.07.2026

परिवाद संख्याः– 06/2026–27

श्री अवतार लाल ग्रा0–कुण्डा, पो0–चोपता (जाखणी)............परिवादी।

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रप्रयाग............विपक्षी।

कोरम–
श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।
श्री अनिल वर्मा–तकनीकि सदस्य।
श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थितिः–

परिवादी की ओर से............ अनुपस्थित।

विपक्षी की ओर से............ सहायक अभियंता राजस्व रूद्रप्रयाग उपस्थित।

उद्धघोषित द्वारा :–
श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा–तकनीकि सदस्य

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

निर्णय

1. परिवाद नया विद्युत संयोजन के सन्दर्भ में है। श्री अवतार लाल ग्रा0–कुण्डा, पो0–चोपता (जाखणी), वि0वि0खण्ड रूद्रप्रयाग ने दिनांक 20.04.2026 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि, प्रार्थी द्वारा कुटीर ज्योति के संयोजन हेतु विभाग में दो वर्ष पूर्व समस्त दस्तावेज जमा किये थे किन्तु विभाग द्वारा वर्तमान तक विद्युत संयोजन स्थापित नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।

सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 25.05.2026, के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से सहायक अभियंता राजस्व रूद्रप्रयाग उपस्थित हुए। विपक्षी विभाग द्वारा कोई भी लिखित में अपना जवाब/आपत्ति मंच में दाखिल नहीं किया गया है, मंच द्वारा विपक्षी को अगली सुनवाई की तिथि दिनांक 08.06.2026 तक जवाबदावा एवं परिवाद की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया।
3. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 08.06.2026, दिनांक 17.06.2026 एवं दिनांक 29.06.2026 के दौरान पक्षकार उपस्थित नहीं हुए। मंच द्वारा विपक्षी को अगली सुनवाई की तिथि दिनांक 10.07.2026 तक जवाबदावा एवं परिवाद की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया।
4. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 10.07.2026 के दौरान परिवादी एवं विपक्षी विभाग उपस्थित नहीं हुए। विपक्षी द्वारा व्हाटसऐप के माध्यम से परिवादी का जवाबदावा मंच में प्रेषित किया गया।
5. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 22.07.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से सहायक अभियन्ता राजस्व रूद्रप्रयाग उपस्थित हुए, विपक्षी द्वारा मंच को अवगत किया गया कि परिवादी ने विद्युत संयोजन शुल्क जमा नहीं किया है जिस कारण विद्युत संयोजन दिया जाना सम्भव नहीं है। मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन करने पर विपक्षी विभाग के कथन को सही पाया गया।

आदेश

मंच द्वारा परिवादी का प्रस्तुत परिवाद स्वीकार करते हुए, परिवादी को निर्देशित किया जाता है कि वह विभाग में विद्युत संयोजन शुल्क जमा करें, एवं विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी द्वारा संयोजन शुल्क जमा करने के 15 दिनों के अन्तर्गत परिवादी के परिसर पर संयोजन स्थापित करें। तदानुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

रघुवीर सिंह बिष्ट	अनिल वर्मा	अर्जुन सिंह बिष्ट
(विधि सदस्य)	(तकनीकि सदस्य)	(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य–विधि	सदस्य–तकनीकि	सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,
Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

पत्रांकः– 121 / उ0शि0नि0मं0कर्ण0 / 2026–27, दिनांकः– 25/07/2026

परिवाद योजित तिथि –20.04.2026
अंतिम सुनवाई तिथि–22.07.2026
निर्णय उद्धघोषित तिथि– 22.07.2026

परिवाद संख्याः– 07 / 2026–27

प्रधानाचार्या रा0उ0प्रा0वि0 बावई, वि0ख0–अगस्त्यमुनि रूद्रप्रयाग...परिवादी।

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रप्रयाग...विपक्षी।

कोरम–

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।
श्री अनिल वर्मा–तकनीकि सदस्य।
श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थितिः–

परिवादी की ओर से.................................... अनुपस्थित।

विपक्षी की ओर से.................................... सहायक अभियंता राजस्व रूद्रप्रयाग उपस्थित।

उद्धघोषित द्वारा :–

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा–तकनीकि सदस्य

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

निर्णय

1. परिवाद विद्युत संयोजन एवं बिल के सन्दर्भ में है। प्रधानाचार्या रा0उ0प्रा0वि0 बावई, वि0ख0–अगस्त्यमुनि रूद्रप्रयाग, वि0वि0खण्ड रूद्रप्रयाग ने दिनांक 20.04.2026 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि, प्रार्थी द्वारा विभाग में रा0उ0प्रा0वि0 विघालय बावई का रा0इ0का0 में विलयीकरण होने के कारण विद्युत संयोजन कटाने हेतु आवेदन किया गया था। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।

सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

पत्रांकः– 121 /उ0शि0नि0मं0कर्ण0/2026–27, दिनांकः–25/07/2026

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 25.05.2026, के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से सहायक अभियंता राजस्व रूद्रप्रयाग उपस्थित हुए। विपक्षी विभाग द्वारा आवेदन पत्र की स्पष्ट रिपोर्ट मंच में दाखिल नहीं की गई। मंच द्वारा विपक्षी को अगली सुनवाई की तिथि दिनांक 08.06.2026 तक जवाबदावा एवं परिवाद की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया।
3. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 08.06.2026, दिनांक 17.06.2026 एवं दिनांक 29.06.2026 के दौरान पक्षकार उपस्थित नहीं हुए। मंच द्वारा विपक्षी को अगली सुनवाई की तिथि दिनांक 10.07.2026 तक जवाबदावा एवं परिवाद की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया।
4. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 10.07.2026 के दौरान परिवादी एवं विपक्षी विभाग उपस्थित नहीं हुए। विपक्षी द्वारा व्हाटसऐप के माध्यम से परिवादी का जवाबदावा मंच में प्रेषित किया गया।
5. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 22.07.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से सहायक अभियन्ता राजस्व रूद्रप्रयाग उपस्थित हुए, मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा परिवादी ने दूरभाष के माध्यम से मंच को अवगत किया गया कि पूर्व में उ0प्रा0वि0 बावई के नाम से निर्गत विद्युत बिल को रा0इ0का0 बावई के नाम से प्रेषित किया जाए जिससे अवशेष विद्युत बिल का भुगतान किया जा सके।

आदेश

मंच द्वारा परिवादी का प्रस्तुत परिवाद स्वीकार करते हुए, विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि उ0प्रा0वि0 बावई का अवशेष विद्युत बिल प्रधानाचार्य रा0इ0का0बावई को निर्गत करें। तद्नुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

रघुबीर सिंह बिष्ट (विधि सदस्य) सदस्य–विधि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	अनिल वर्मा (तकनीकि सदस्य) सदस्य–तकनीकि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	अर्जुन सिंह बिष्ट (उपभोक्ता सदस्य) सदस्य–उपभोक्ता उपभोक्ता शिकायत निवारण मच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,
Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

पत्रांकः– 122 /उ0शि0नि0मं0कर्ण0/2026–27, दिनांकः– 25/07/2026

परिवाद योजित तिथि –15.05.2026
अंतिम सुनवाई तिथि–22.07.2026
निर्णय उद्घघोषित तिथि– 22.07.2026

परिवाद संख्याः– 26/2026–27

श्री कमल सिंह ग्रा0–सांदर, पो0–रूद्रप्रयाग .... परिवादी।

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रप्रयाग.. विपक्षी।

कोरम–

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।
श्री अनिल वर्मा–तकनीकि सदस्य।
श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थितिः–

परिवादी की ओर से.. अनुपस्थित।

विपक्षी की ओर से.. सहायक अभियंता राजस्व रूद्रप्रयाग उपस्थित।

उद्घघोषित द्वारा :–

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा–तकनीकि सदस्य

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

निर्णय

1. परिवाद विद्युत मीटर के सन्दर्भ में है। श्री कमल सिंह ग्रा0–सांदर, पो0–रूद्रप्रयाग, वि0वि0खण्ड रूद्रप्रयाग ने दिनांक 15.05.2026 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि, प्रार्थी द्वारा जनवरी माह में विद्युत मीटर के लिए आवेदन किया था, जिसमें प्रार्थी द्वारा रूपये 1600 जमा किया गया किन्तु लाइनमैन द्वारा पुराना मीटर लगाया जिस पर पहले से ही 2566 यूनिट खर्च हो चुकी थी। किन्तु आजतक भी प्रार्थी को नये मीटर की सिलिंग रिपोर्ट नहीं दी गई। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।

सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

पत्रांकः– 122 /उ0शि0नि0मं0कर्ण0/2026–27. दिनांकः–25/07/2026

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 25.05.2026, के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से सहायक अभियंता राजस्व रूद्रप्रयाग उपस्थित हुए। विपक्षी विभाग द्वारा कोई भी लिखित में अपना जवाब/आपत्ति मंच में दाखिल नहीं किया गया है, मंच द्वारा विपक्षी को अगली सुनवाई की तिथि दिनांक 08.06.2026 तक जवाबदावा एवं परिवाद की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया।
3. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 08.06.2026, दिनांक 17.06.2026 एवं दिनांक 29.06.2026 के दौरान पक्षकार उपस्थित नहीं हुए। मंच द्वारा विपक्षी को अगली सुनवाई की तिथि दिनांक 10.07.2026 तक जवाबदावा एवं परिवाद की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया।
4. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 10.07.2026 के दौरान परिवादी एवं विपक्षी विभाग उपस्थित नहीं हुए। विपक्षी द्वारा व्हाटसऐप के माध्यम से परिवादी का जवाबदावा मंच में प्रेषित किया गया।
5. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 22.07.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से सहायक अभियन्ता राजस्व रूद्रप्रयाग उपस्थित हुए, विपक्षी द्वारा मंच को अवगत किया गया कि परिवादी के परिसर पर लगाये गये विद्युत मीटर की पूर्व रीडिंग के बाद की रीडिंग के अनुसार ही विद्युत बिल दिया जा रहा है, एवं मीटर की सीलिंग रिपोर्ट भी परिवादी को उपलब्ध करा दी गई है। मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी के प्रस्तुत परिवाद का समाधान विपक्षी विभाग द्वारा कर दिया गया है। तदानुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

रघुवीर सिंह बिष्ट
(विधि सदस्य)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

अनिल वर्मा
(तकनीकि सदस्य)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL